

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
नवादा/पटना/कटिहार/भागलपुर/सहरसा
पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/गोपालगंज/वैशाली/दरभंगा।

पटना, दिनांक 29/03/2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि मद में ₹11,15,860/- (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार आठ सौ साठ रु०) एवं संविदा सेवाएँ मद में ₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार रु०) अर्थात् कुल ₹13,05,860/- (तेरह लाख पाँच हजार आठ सौ साठ रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹6,08,63,110/- एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹61,26,120/- अर्थात् कुल ₹6,69,89,230/- (छः करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार दो सौ तीस रूपये) मात्र का पूरे वर्ष के लिए विभागीय पत्रांक-07 दिनांक-19.05.17 द्वारा की गई है। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक-20 दिनांक-07.06.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, खगडिया एवं भागलपुर को कुल ₹11,73,449/- (ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नचास रूपये), पत्रांक-46 दिनांक-18.07.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर/कैमूर/दरभंगा को कुल ₹14,78,968/- (चौदह लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अडसठ रूपये), पत्रांक-61 दिनांक-20.09.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/सहरसा/नालन्दा को ₹46,67,080/- (छियालीस लाख सडसठ हजार अस्सी रूपये), पत्रांक-72 दिनांक-17.10.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया/बक्सर/कटिहार/छपरा(सारण)/मुंगेर को ₹47,13,000/- (सैतालीस लाख तेरह हजार रूपये), पत्रांक-90 दिनांक-20.11.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा/सिवान को ₹26,33,000/- (छब्बीस लाख तैतीस हजार रूपये), पत्रांक-115 दिनांक-08.01.18 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नालन्दा/खगडिया/कटिहार को कुल ₹21,11,250/- (एक्कीस लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास रूपये), पत्रांक-115 दिनांक-08.01.18 द्वारा पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/भोजपुर(आरा) को कुल ₹10,10,800/- (दस लाख दस हजार आठ सौ रूपये) मात्र, पत्रांक-172 दिनांक-27.03.18 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर को अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹9,58,800/- (नौ लाख अन्ठावन हजार आठ सौ रूपये) एवं पत्रांक-172 दिनांक-27.03.18 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर को अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹7,45,964/- (सात लाख पैतालीस हजार नौ सौ चौसठ रूपये) की राशि आवंटित की गयी है।

2- उपरोक्त आबंटित राशि से जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1431 दिनांक 28.03.2018 द्वारा वेतनादि में ₹23,28,649/- (तेईस लाख अठाईस हजार छः सौ उनचास रु०) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-211 दिनांक-07.03.2018 द्वारा ₹37,96,38/- (तीन लाख उनासी हजार छः सौ अडतीस रु०) एवं एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-265 दिनांक-12.03.18 द्वारा वेतनादि ईकाई मद में ₹5,95,604/- (पाँच लाख पन्चानवे हजार छः सौ चार रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹33,03,891/- (तैतीस लाख तीन हजार आठ सौ एकाच्चे रु०) मात्र का प्रत्यापण प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

3- उपरोक्त प्रत्यापित राशि में से वेतनादि मद में ₹11,15,860/- (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार आठ सौ साठ रु०) एवं संविदा सेवाएँ मद में ₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार रु०) अर्थात् कुल ₹13,05,860/- (तेरह लाख पाँच हजार आठ सौ साठ रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन(पुर्नावंटन) निम्न प्रकार से जिलों के माँग के आलोक में दिया जाता है:-

✓
29.3.18



| क्रमांक | जिला कार्यालय का नाम | वेतन | जीवन यापन भत्ता | मकान किराया भत्ता | चिकित्सा भत्ता | संविदा सेवाएँ | कुल अतिरिक्त आबंटन राशि |
|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 |
| 1 | जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर | ₹90,000/- | ₹1,05,000/- | ₹4000/- | ₹1000/- | ₹100000/- | ₹300000/- |
| 2 | जिला कल्याण कार्यालय, सहरसा | - | - | - | - | ₹90000/- | ₹90000/- |
| 3 | जिला कल्याण कार्यालय, हाजीपुर(वैशाली) | ₹5000/- | - | - | - | 0/- | ₹5000/- |
| 4 | जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज | ₹300000/- | ₹300000/- | ₹24000/- | ₹20000/- | 0/- | ₹844000/- |
| 5 | जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी चम्पारण | ₹105,000/- | ₹1,09,000/- | ₹4500/- | ₹1200/- | 0/- | ₹219700/- |
| 6 | जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा | ₹20,000/- | ₹27,160/- | 0/- | 0/- | 0/- | ₹47160/- |
| | कुल योग:- | ₹5,20,000/- | ₹541160/- | ₹32500/- | ₹22200/- | ₹190000/- | ₹1305880/- |

(तिरह लाख पाँच हजार आठ सौ साठ रू० मात्र)

4- कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय-व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0002-छात्रावासों का संधारण,-विषय शीर्ष-0002.01.01-वेतन, 0002.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0002.01.04-मकान किराया भत्ता, 0002.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0002.28.02-संविदा सेवाएँ-मांग सं०-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770002 के अन्तर्गत विकलनीय है।

5- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

7- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है।

8- संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दिया जा रहा है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक 29/3/18

ज्ञापांक - 1/छात्रावास(संघा.)-31-01/2010- 181

पटना, दिनांक- 29/3/2018

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/पटना/कटिहार/भागलपुर/सहरसा/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/ गोपालगंज/वैशाली/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त,/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/ आई० टी० प्रबंधक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा-3 डी० एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18
29.3.18

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक 29/3/18